# निर्णय न्यायालय सुश्री वर्षा मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 21/2020 | 13-2-2020 | 30-9-2020 |

रमजी पत्नि इस्लाम उम्र 60 साल जाति मुसलमान निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर। ---प्रार्थिया

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर। ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट प्रार्थिया की और से

## निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर में भूमि खसरा न0 341 रकबा 0.59 है0 स्थित है प्रार्थिया के पति इस्लाम का इन्तकाल हो चुका है जिसकी विरासत प्रार्थिया व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है लेकिन विरासत के नामान्तकरण सं0 654 जो दिनांक 05.6.2014 को तस्दीक किया गया है, में प्रार्थिया का नाम रजनी दर्ज कर दिया जब कि प्रार्थिया का सही नाम रमजी है। प्रार्थिया की वोटर आई.डी.,आधार कार्ड, राशनकार्ड, सभी दस्तावजों में प्रार्थिया का नाम रमजी पत्नि इस्लाम है । रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त गलती होने के कारण उसके हितों पर विपरीत असर पडने की पूरी सम्भावना है इसलिए प्रार्थिया का रेवेन्यू रिकार्ड में नाम रजनी के स्थान पर रमजी पत्नि इस्लाम दर्ज करने के आदेश दिये जावे । मृतक इस्लाम की अन्य कोई पत्नि नही है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 01.6.2020 को अपने पत्र कमांक 539 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की । बहस वकील प्रार्थिया सुनी गई। वकील प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2068—71 का एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, आधारकार्ड, का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी में प्रार्थिया का नाम रजनी दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, में उसका नाम रमजी दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)

गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार रजनी पत्नि इस्लाम के स्थान पर रमजी पत्नि स्व0 इस्लाम किया जाना उचित है।

**आदेश**

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुर तहसील वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2076 से 2079 के खाता संख्या 153 में दर्ज नाम रजनी को हजफ कर उसके स्थान पर रमजी पत्नि स्व0 इस्लाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 153 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-9-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( सुश्री वर्षा मीना )
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर